इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019—कार्तिक 23, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल .

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

अधि. 24–क्रमांक एफ 1–48–2011–अठारह–3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 317क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अस्थायी टावर का संस्थापन/सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा के लिए अधोसंरचना) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,

(1) खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) "आवेदक" से अभिप्रेत है, किसी ऐसी संस्था अथवा कंपनी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई आवेदक, जिसे भारत सरकार द्वारा वायर लाइन तथा/या वायरलेस डेटा या वाइस सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुज्ञप्त किया गया हो अथवा जिसे टेलीकाम अधोसंरचना (आई.पी.–एक) विकसित करने हेतु प्राधिकृत एवं रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और इस प्रयोजन हेतु आवेदक, किसी नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर अस्थायी टावर/अवसंरचना का निर्माण करना चाहता हो;";

(2) खण्ड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्:—

"(5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले का कलक्टर, जिसके क्षेत्राधिकार में शहरी स्थानीय निकाय अवस्थित है;";

(3) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं अर्थात्:—

"(14) "नीति" से अभिप्रेत है, "मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अधोसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति, 2019".

(15) "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" से अभिप्रेत है, देयताओं के लिये बंधपत्र आवेदक, कारित किसी भी नुकसान या क्षति के लिए या किसी सिविल या दाण्डिक देनदारियों और उसके परिणामों के लिए अकेले जिम्मेदार होगा और उसे प्ररूप तीन में उस प्रभाव का एक "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा.".

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3. **टावर खड़ा करने हेतु अनुज्ञेय स्थल.**—"मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अधोसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति, 2019" के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सभी स्थल टावर खड़ा करने के लिए अनुज्ञेय होंगे.".

3. नियम 4 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) सम्पत्ति के स्वामित्व दस्तावेज की प्रति ;

4. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"5. **अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा नवीनीकरण और समझौता शुल्क की दर.**—"मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अधोसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति, 2019" के उपबंधों के अनुसार."

5. नियम 7 में, शीर्षक में, चिन्ह तथा शब्द "/अनुज्ञति" का लोप किया जाए.

6. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"17. **अधोसंरचना का हटाया जाना.**—

(क) सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे निर्माण या अधोसंरचना को हटाने के लिए सशक्त होगा, जो अनुज्ञप्ति के प्रदाय की शर्तों के उल्लंघन में बनाई गई हों या जो लोक सुरक्षा के संबंध में असुरक्षित हो या लोक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता हो.

(ख) ऐसी कोई कार्रवाई किए जाने के पूर्व आवेदक को अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी.".

7. प्ररूप-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप–एक

दूरसंचार टावर संस्थापन/नवीनीकरण की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी.
द्वारा आयुक्त/नगरपालिका अधिकारी,
. . . . . .
(उस निगम/नगरपालिका/नगर परिषद् का नाम, जिसमें टावर खड़े किए जाने हैं)

मैं/हम ..... मेसर्स ..... का/के अधिकृत प्रतिनिधि हूं/हैं और मोबाइल फोन टावर को खड़ा करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं:—

1.	आवेदक का पूरा नाम, पता एवं फोन नंबर	.....
2.	भूखण्ड/भवन के स्वामी का नाम, पता और सहमति–पत्र तथा अनुबंध की एक प्रति.	.....
3.	भवन तथा टावर के लिए सुरक्षा प्रमाण–पत्र	.....
4.	प्रस्तावित स्थल/भवन का नाम तथा पता और स्वामी का नाम और आवेदक के स्थानीय प्रतिनिधि का संपर्क नम्बर	.....
5.	भारत सरकार द्वारा जारी सेवा प्रदाता के रूप में स्वामी के रजिस्ट्रीकरण का विवरण.	.....
6.	प्रस्तावित टावर के पास उच्च दाब/निम्न दाब ओव्हरहेड लाइन और सर्विस लाइन के ब्यौरे.	.....
7.	टावर के साथ संस्थापित किए जाने वाले जनरेटर तथा सहायक उपकरणों के ब्यौरे.	.....
8.	आवेदन के साथ संलग्नकों और भवन अनुज्ञा आदि के ब्यौरे.	.....
9.	अनुज्ञा के लिए संदत शुल्क के ब्यौरे	.....
10.	आवेदन करते समय प्रचलित नियमों/विनियमों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी.	.....
11.	अन्य अनुलग्न दस्तावेज.	.....

मैंने/हमने नियमों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है एवं उनका पालन करने के लिए बाध्य हूं/हैं. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

अधि. क्रमांक 24–एफ 1–48–2011–अठारह–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 24 एफ 1–48–2019–अठारह–3, दिनांक 14 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.

Noti-24-F 1-48-2011-18-3 Bhopal, the 14th November 2019

In exercise of the powers conferred by Section 433 read with section 317A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Installation of Temporary Towers/Structure for Cellular Mobile Phone Service) Rules, 2012, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 2,-

(1) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(2) "**Applicant**" means any applicant so authorized by any institution or company which has been licensed by the Government of India for providing wire line and/or wireless data or voice service or has been authorized and registered to develop telecom infrastructure (I.P.-I) and for this purpose the applicant wishes to construct temporary Towers/Structure within the limits of any Urban Local Body;";

(2) For Clause (5) the following clause shall be substituted, namely :-

"(5) "**Competent authority**" means Collector of the District appointed by the State Government under section 16 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) within whose jurisdiction the urban local body is situated;";

(3) after clause (13), the following clauses shall be added, namely:-

"(14) "**Policy**" means Policy to Facilitate Establishment of Infrastructure for Providing Wire Line or Wireless Based Voice or Data Access Service by Telecom Service/Internet Service/Infrastructure Providers in Madhya Pradesh 2019".

(15) "**Indemnity Bond**" means Bond for Liabilities- The applicant shall be solely responsible for any loss or damage caused or for any civil or criminal liabilities and outcomes thereof and shall be required to furnish an 'Indemnity Bond' in Form-III to that effect.".

2. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Places permissible for erecting Towers.**- All Places as specified under "Policy to Facilitate Establishment of Infrastructure for Providing Wire Line or Wireless Based Voice or Data Access Service by Telecom Service/Internet Service/Infrastructure Providers in Madhya Pradesh 2019" shall be permissible for erecting towers.".

3. In rule 4, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) copy of ownership document of the property;

4. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. **Rate of Licence/permission, renewal and compounding fee.**- As per the provisions of "Policy to Facilitate Establishment of Infrastructure for providing Wire Line or Wireless Based Voice or Data Access Service by Telecom Service/Internet Service/ Infrastructure Providers in Madhya Pradesh, 2019".

5. In rule 7, in the heading, mark and word "/Licence" shall be omitted.

6. For rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-

"17. **Removal of the Infrastructure.-**

(a) The Competent Authority shall be empowered to remove any construction or structure which is made in contravention of the conditions of grant of license or which are unsafe with respect to public safety or if the land is required for a public purpose.

(b) A prior intimation of two weeks will be given to the applicant to submit his reply/version before such an action is taken.".

7. For Form-1, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM-I

Application form for Permission of Telecom Tower Installation /Renewal

To,

The Competent Authority,
C/o Commissioner/Municipal Officer.
.....
(Name of the Nagar Nigam/Nagarpalika/Nagar Parishad in which towers are to be erected)

I/We, ...are authorized representative from M/s, ... and are submitting following information/documents for granting permission to erect mobile phone tower:-

1. Full name, address and phone number of the applicant. : .....
2. Name address and consent letter: of the owner of the plot/building and a copy of agreement. .....
3. Safety Certificate for building and: Tower. .....
4. Name and address of proposed site/building and the name of owner and contact number of local representative of the applicant. : .....

5. Particulars of registration of : .....
owner as service provider issued
By the Government of India.

6. Details of High Tension/Low : .....
Tension overhead line and service
Lines near the proposed tower.

7. Details of Generator and auxiliary: .....
Equipments to be installed with
Tower.

8. Details of enclosures with : .....
Application and building
Permission etc.

9. Details of fee paid for permission : .....

10. Other necessary information : .....
about prevalent rules/regulation at .....
the time of application.

11. Other documents annexed : .....

I/We have thoroughly read and understood the rules and are bound to abide by it. The information's furnished by me/us are true, complete and correct to the best of my/our knowledge and belief.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMESH KUMAR SINGH, Dy Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.